

कैम्प कार्यालय जनपद न्यायाधीश, एटा।

प्रशासनिक आदेश निल दिनांक: 19.04.2020
आ दे श

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पूर्व में प्रेषित ई मेल पत्रोंक नं० 450/ इन्फा सेल, इलाहाबाद दिनांकित 18.04.2020 के अनुसार जो दिनांक 20.04.2020 से न्यायालय खुलने से सम्बन्धित था, आज पुनः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रेषित ई मेल नं० पी एस (आर०जी०)/ 44 / 2020 इलाहाबाद दिनांकित अप्रैल 19, 2020 के अनुसार उपरोक्त आदेश का कियान्वयन दिनांक 27.04.2020 तक स्थगित किया जाता है।

इस सम्बन्ध में सभी न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अध्यक्ष व सचिव, जिला कलक्ट्रेट बार एसोसियेशन सूचित हों। इस आदेश की छाया प्रति केन्द्रीय नाजिर द्वारा गेट नं० 2, 3 व 5 पर चस्था कराई जावे। सूचना इलैक्ट्रोनिक मीडिया/ दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजी जावे तथा सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय की वेब साइट पर अपलोड करें।

True Copy
19/04/2020
C.A.O.
Etah Judgeship
ETAH

(रेणु कुमवाल)
जनपद न्यायाधीश, एटा
19.04.2020